राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेसा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
पृ.क्र. / एन.एच.एम. / एच.आर. / सं.नि. - एम.ओ / 2020 / 8328 भोपाल, दिनांक: 30.06.2020

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 17.06.2020 वार्षिक-इन-इटरव्यू के माध्यम से
निम्नलिखित चिकित्सक की उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई स्वास्थ्य संस्था में संविदा आधार पर
पदस्थापना की जाती है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>चिकित्सक का नाम</th>
<th>पिता का नाम</th>
<th>शैक्षणिक योग्यता</th>
<th>पदस्थापना स्थल</th>
<th>मानदंड राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DR PRIYAVRAT SONKAR (12248)</td>
<td>MR. ASHA RAM SONKAR</td>
<td>M.B.B.S</td>
<td>DTC BALAGHAT AS MO DISTRICT-BALAGHAT</td>
<td>60,000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

संविदा से यहां निम्नानुसार रहेगी:-

1. संविदा से यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के
   अनुरूप होगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्त, नियुक्ति आदेश दिनांक से विलीन सर्थ की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च
   2021) के लिए होगी।
3. वार्षिक कार्य आयाम के मूल्यांकन में योगदान देने पर एवं मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप
   केन्द्रिक फिल्टरेशन सेंटरिकट उपलब्ध कराने पर संविदा अनुबंध का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प.
   द्वारा विकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर निर्धारित करण संबंधी कोई मांग या दावे विशेष नहीं होगे।
5. संविदा चिकित्सक आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर
   संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त दस्तावेजों की स्पष्टता एवं केन्द्रिक
   फिल्टरेशन सेंटरिकट उपलब्ध कराने का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
6. यदि कारणबाज निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलय होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा
   अनुबंधकार्य अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अवधि अधिकतम एक माह के
   लिए मात्र की जा सकेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः
   निरस्त मानी जायेगी।
7. संविदा चिकित्सक द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि
   500/- के गैर न्यायिक बंध पर अनुबंध निर्भरवाल दिया जाना होगा।
8. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा चिकित्सक के मध्य
   निम्नानुसार किया जायेगा।
9. अनुबंध के निषेधाण्ड पर होने वाला व्यय चयनित संविदा चिकित्सक द्वारा वहन किया जायेगा।
10. यास दिन संविदा पर चिकित्सकीय जांच-नियुक्त पूर्व अस्थायी द्वारा केन्द्रिक फिल्टरेशन हेतु स्वयं
    के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा
    बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा दैद्ध होगी।
11. अनुबंध उपरोक्त संविदा चिकित्सक को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।

निर्देशं, 2
12. संविदा चिकित्सक को शासन के समस्त राज्य कार्यक्रमों के संचालन में सक्षम रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।
13. संविदा चिकित्सक द्वारा कदाचारण करने अथवा किसी अपराधी कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्त समाप्त कर जा सकेगी।
14. संविदा चिकित्सक राज्य राज्यस्व निशान, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासनीय नियंत्रण के अधीन होगा।
15. आकस्मिक अवकाश—संविदा पर नियुक्त चिकित्सक को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश का पालन होगा। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पालन होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निवारण अवकाश अवधि को अवैधतिक किया जायेगा।
16. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा चिकित्सक द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)

प्र.क./एन.एच.एम./एच.आर./ सं.नि.—एम.ओ /2020/8829 भोपाल, दिनांक: 30.06.2020

प्रतिलिपि:—
1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. अध्यक्ष अधिकारी, एन.एच.एम., म.प्र।
5. संचालक, बिहार, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक, हेल्थ एप्लिकेशन सेंटर, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
7. उप संचालक, शिक्षा स्वास्थ्य सेवायें, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति बालाघाट, म.प्र।
9. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग—जबलपुर, म.प्र।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट, म.प्र।
11. उप संचालक, आई.टी. एनएचएम की ओर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेंचमाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. DR. PRIYAVRAT SONKAR की ओर सूचनाथ एवं पालनार्थ।

(नामस्कार, मुख्य प्रशासनीय अधिकारी एन.एच.एम., मध्यप्रदेश)